न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 139 / 2022

1 मन्जू देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र मांगीलाल।
2 ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2022 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर पीठासीन अधिकारी दयानन्द रूयल आर.ए.एस. जो दावा संख्या 15 / 2021 बउनवानी शंकरलाल आदि बनाम मन्जू देवी आदि में पारित किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रिड़मल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—5-5-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने ग्राम बाठोद की भूमि खसरा नम्बर 436,437,438,439,441 के सन्दर्भ में दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स की विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्राथमिक डिक्री की अपील में मियाद लागु नही होती है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में अपीलांट की सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी करने का अंकन आदेशिका में किया गया है। आदेशिका पर अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के सहमती हेतु हस्ताक्षर नही है। विचारण न्यायालय में पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट के जवाव दावे हेतु नियत थी। विधि अनुसार 30 दिन का समय जवाव दावा हेतु दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने 18 दिन वाद ही जवाव का अवसर वंद किये बिना ही बिना सुनवाई बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये विचाराधीन डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण नही करवाई गई है, विधि में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2018–19 पेज 432,आर.एल.डब्ल्यू 2006(1) पेज 276, आर.एल. डब्ल्यू 2006(1) पेज 324 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 04.08.2022 को जरिये वकील उपस्थित हुई है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 में अंकन किया गया है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नही है क्योंकि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट का यह भी कथन नही है कि उनके अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही दी गई थी। स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा प्रकट नही किया गया है। अत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू.प्र. अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 04.08.2022 को जरिये वकील उपस्थित हुई है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 में अंकन किया गया है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य नही है क्योंकि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा वकालतन उपस्थिति रही है। अपीलांट का यह भी कथन नही है कि उनके अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही दी गई थी। स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा प्रकट नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5-5-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर